भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1040
बुधवार, 10 फरवरी, 2021/21 माघ, 1942 (शक)

बेरोजगारी दर में वृद्धि के संबंध में आंकड़े

1040. **डा.एल. हनुमंतय्याः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बेरोजगारी दर में तेजी से वृद्धि होने के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2020-21 तक बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश में रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18, 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी की दर नीचे दी गई है:

बेरोजगारी दर (% में)	
सर्वेक्षण	अखिल भारत
2016-17 (श्रम ब्यूरो)	3.9%
2017-18 (पीएलएफएस)	6.0%
2018-19 (पीएलएफएस)	5.8%

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

(ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

सरकार द्वारा देश में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, 01.04.2018 से ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की समापन तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनकी रोजगार तथा स्व-रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं प्रतिक्रियाशील ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 10.02.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी दर का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (%)		
		श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण	एनएसओ (पीएलएफएस) के सर्वेक्षण	
		2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	3.1	4.5	5.3
2	अरुणाचल प्रदेश	4.2	5.8	7.7
3	असम	4.4	7.9	6.7
4	बिहार	5.4	7.0	9.8
5	छत्तीसगढ़	2.9	3.3	2.4
6	दिल्ली	4.6	9.4	10.4
7	गोवा	10.1	13.9	8.7
8	गुजरात	0.8	4.8	3.2
9	हरियाणा	5.2	8.4	9.3
10	हिमाचल प्रदेश	2.6	5.5	5.1
11	जम्मू और कश्मीर	8.1	5.4	5.1
12	झारखंड	5.8	7.5	5.2
13	कर्नाटक	1.8	4.8	3.6
14	केरल	11.1	11.4	9.0
15	मध्य प्रदेश	4.0	4.3	3.5
16	महाराष्ट्र	1.6	4.8	5.0
17	मणिपुर	3.9	11.5	9.4
18	मेघालय	3.3	1.6	2.7
19	मिजोरम	2.9	10.1	7.0
20	नागालैंड	5.2	21.4	17.4
21	ओडिशा	4.7	7.1	7.0
22	पंजाब	6.5	7.7	7.4
23	राजस्थान	2.7	5.0	5.7
24	सिक्किम	5.9	3.5	3.1
25	तमिलनाडु	3.7	7.5	6.6
26	तेलंगाना	2.7	7.6	8.3
27	त्रिपुरा	15.0	6.8	10.0
28	उत्तराखंड	3.3	7.6	8.9
29	उत्तर प्रदेश	5.2	6.2	5.7
30	पश्चिम बंगाल	3.7	4.6	3.8
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8.3	15.8	13.5
32	चंडीगढ़	1.3	9.0	7.3
33	दादर और नगर	1.8	0.4	1.5
34	दमन और दीव	1.5	3.1	0.0
35	लक्षद्वीप	5.2	21.3	31.6
36	पुडुचेरी	5.7	10.3	8.3
	अखिल भारत	3.9	6.0	5.8

स्रोत: 1. वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18 एवं 2018-19, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

2. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग है।